

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

क्रमांक 2768

कार्यालय तहसीलदार नीरख (राजग)

दिनांक 8-7-2010

## जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी यशोद कान्हा  
 सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री यशोद किशोर  
 गांव/नगर देई जिला/डिवीजन बुन्दी क्षेत्र राजस्थान  
 जाति/समुदाय रेगा का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित  
 जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1971; और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधन किए गये अनुसार।
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970



श्री/श्रीमती/कुमारी यशोद कान्हा और/अथवा उसका परिवार देई गांव/नगर बुन्दी जिला/डिवीजन बुन्दी राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

स्थान-  
दिनांक

80 तहसीलदार  
(मोहर)

● कृपया उन शब्दों को काट दीजिए जो लागू नहीं होते।

विशेष- यहाँ पर प्रयुक्त 'सामान्यतः रहता है', का अर्थ वही होगा जो प्रावधान 1950 के धारा 20 में है।